उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की धारा–21(1) के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में निम्नांकित सदस्य नामित हैं:–

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा	(1)	**पदेन**– कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ख) प्रति–कुलपति, यदि कोई हो	(2)	**पदेन**– प्रति–कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ग) संकायों के अध्यक्ष	(3)	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(4)	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(5)	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(6)	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(7)	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (दंत विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(घ) विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठतम आचार्य (संकायाध्यक्षों से भिन्न)	(8)	डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग।
	(9)	डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग।
(ङ) कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसाय से राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विख्यात तीन व्यक्ति	(10)	डॉ0 संजय काला, प्रोफेसर–सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर
	(11)	डॉ0 राजेश कश्यप, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिमेटोलॉजी विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ
	(12)	डॉ0 एस0 एन0 शंखवार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ
(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0	(13)	**पदेन**
(छ) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य	(14)	डॉ0 प्रशान्त गुप्ता, प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा।
(ज) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	(15)	**पदेन**
(झ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए उसके द्वारा नामित उस संस्थान का एक आचार्य	(16)	**पदेन**
(ञ) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अथवा नामित व्यक्ति	(17)	**पदेन**
धारा 22–(9) सचिव–कार्य परिषद कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	(18)	**पदेन**– कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 पूर्वान्ह 10.00 बजे से कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष–कार्य परिषद की अध्यक्षता में आयोजित करने के संबंध में कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को पत्र प्रेषित किया गया।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

दिनांक 08.12.2025 को कार्य परिषद की बैठक में निम्नांकित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः—

(1)	प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह, कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	— अध्यक्ष
(2)	डॉ0 रमाकान्त यादव, प्रति—कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	— सदस्य
(3)	डॉ0 एस0 एन0 शंखवार, निदेशक, आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी। (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	— सदस्य
(4)	डॉ0 प्रशान्त गुप्ता, प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	— सदस्य
(5)	डॉ0 सचिन कुमार, संयुक्त निदेशक, कार्यालय महानिदेशक (प्रतिनिधि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0) (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	— सदस्य
(6)	डॉ0 राजेश कश्यप, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिमेटोलॉजी विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	— सदस्य
(7)	डॉ0 आदेश कुमार, संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	— सदस्य
(8)	प्रो0 बिजी बिजू, संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	— सदस्य
(9)	डॉ0 जितेन्द्र प्रसाद मथुरिया, संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	— सदस्य
(10)	डॉ0 प्रवीण कुमार, संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	— सदस्य
(11)	डॉ0 अतुल कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष (दंत विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	— सदस्य
(12)	डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	— सदस्य
(13)	डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	— सदस्य
(14)	श्री अभिनव रंजन श्रीवास्तव, कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	— सदस्य सचिव
(15)	श्री जगरोपन राम, वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	— विशेष आमंत्री

इस प्रकार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 में कुल 18 में से 14 सदस्य उपस्थित रहे एवं 4 सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग न कर सकने का संज्ञान लेते हुए गणपूर्ति (उपस्थिति पत्रक संलग्न) होने पर सर्वप्रथम कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष— कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त मा0 कुलपति महोदय/अध्यक्ष—कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद के समक्ष बिन्दुवार एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

बैठक में एजेण्डावार प्रस्तावों पर विचार—विमर्श उपरान्त कार्य परिषद की कार्यवाही और लिये गये निर्णय निम्नवत् हैं:—

एजेन्डा बिन्दु/विषय	एजेण्डा टिप्पणी
<u>एजेण्डा बिन्दु 14—1</u> **कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जानी अपेक्षित है। **<u>प्रस्तावः</u>** कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 का कार्यवृत्त कार्य परिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया था, किसी भी सदस्य से कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उक्त के

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

	दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः— मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	
<u>एजेण्डा बिन्दु 14—2</u> कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	**<u>प्रस्तावः</u>** मा0 कार्य परिषद उपर्युक्त अनुपालन आख्या पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
<u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>— कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही एजेण्डा बिंदु 13—47 के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि विधिक राय शीघ्र प्रेषित करने हेतु अनुस्मारक पत्र प्रेषित कर दिया जाये।	
<u>एजेण्डा बिन्दु 14—3</u> **संस्थान/विश्वविद्यालय में सेनीटेशन सेवाओं के सापेक्ष फर्म मे0 कु0 शाबरीन चौधरी, इटावा द्वारा ई0पी0एफ0 मद में जमा चालान के सम्बन्ध में उ0प्र0 विधान परिषद की "संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति" को की गयी शिकायत के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर की गयी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराये जाने के संबंध में।**	**<u>प्रस्तावनाः</u>** अवगत कराना है कि उ0प्र0 विधान परिषद की **"संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति"** के मा0 सभापति महोदय की अध्यक्षता में कक्ष संख्या 77 में आहूत बैठक दिनांक 30.10.2025 जिसमें **अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, सचिव चिकित्सा शिक्षा,** कुलपति विश्वविद्यालय, वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय, कुलसचिव के प्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी विश्वविद्यालय व अन्य के द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में प्रस्तुत प्रकरण को एक माह में निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये है। **<u>पृष्ठभूमिः</u>** उपरोक्त के क्रम कार्यालय आदेश संख्या—3497 दिनांक 01.11.2025 के द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 06.11.2025 को सम्पन्न हुई, जिसका कार्यवृत्त संलग्न है, जिसमें सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि सहित अध्यक्ष/सदस्यों ने प्रतिभाग कियाः— (1) श्री जगरोपन राम, वित्त अधिकारी — अध्यक्ष। (2) डा0 विजय मिश्रा, दन्त चिकित्सा विभाग व प्रॉक्टर — सदस्य। (3) श्री राजकुमार सचवानी, प्रशासनिक अधिकारी — सदस्य। (4) श्री राजीव यादव, जूनियर टीचर, कार्डियोलॉजी टेक्नीक्स, पैरामेडिकल संकाय — सदस्य। (5) श्री नरेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखाधिकारी — सदस्य। (6) मेसर्स कु0 शाबरीन चौधरी, सफाई सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा में मै0 कु0 शाबरीन चौधरी, 29 अरार रेलवे रोड, इटावा द्वारा सेनीटेशन सेवाओं हेतु उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन से सम्बन्धित जमा ई0पी0एफ0 के सापेक्ष अवशेष ई0पी0एफ0 की धनराशि से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मै0 कु0 शाबरीन चौधरी द्वारा संस्थान में वर्ष 2007—08 से वर्ष 2019—20 (20 दिसम्बर, 2019 तक) की अवधि में सेवायें निविदा के माध्यम से अनुबंध पर सेवायें प्रदान की गयी। अनुबंध में समय—समय पर श्रमिकों की संख्या में बढोतरी किये जाने का प्राविधान है। अवगत कराना है कि मै0 कु0 शाबरीन चौधरी, इटावा द्वारा संगत प्रकरण में उ0प्र0 विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सदभाव समिति, उ0प्र0 विधान सभा, लखनऊ में प्रत्यावेदन दिया

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

	गया। उक्त समिति की बैठक दिनांकः 30–10–2025 में यह निर्णय लिया गया कि संगत प्रकरण का निस्तारण एक माह में कराया जाय। मा0 संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति में लिये गये निर्णय के अनुसार उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के आदेश संख्याः 3497 दिनांकः 01–11–2025 के क्रम में गठित समिति की बैठक दिनांकः 06–11–2025 के समक्ष मै0 कु0 शाबरीन चौधरी, इटावा के प्रोपराईटर श्री सिराज चौधरी द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन के अनुसार ई0पी0एफ0 मद में फर्म को किया गया भुगतान **(नियोक्ता अंशदान अनुबन्ध के अनुसार 12 प्रतिशत)** कुल रू0 2,28,21,038.00 है, इसमें से फर्म द्वारा बताया गया कि रू0 1,29,22,404.00 के ई0पी0एफ0 जमा के चालान उपलब्ध कराये गये है। **नियमः** उ0प्र0 विधान परिषद की **"संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति"** के मा0 सभापति महोदय की अध्यक्षता में कक्ष संख्या 77 में आहूत बैठक दिनांक 30.10.2025 में प्रकरण को एक माह के अन्दर निस्तारित किये जाने के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रकरण विश्वविद्यालय स्तर पर की जा रही कार्यवाही मा0 कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। **प्रस्ताव का आधारः** उ0प्र0 विधान परिषद की **"संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति"** के मा0 सभापति महोदय की अध्यक्षता में कक्ष संख्या 77 में आहूत बैठक दिनांक 30.10.2025 में प्रकरण को एक माह के अन्दर निस्तारित किये जाने के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवशेष ई0पी0एफ0 देयता के संबंध में असि0 प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार), भविष्य निधि भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर से वस्तुस्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु पत्र सं0 3114/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/ अनु0प्रको0 (224)/2025–26 दिनांक 28.11.2025 प्रेषित किया जा चुका है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** उ0प्र0 विधान परिषद की **"संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति"** के मा0 सभापति महोदय की अध्यक्षता में कक्ष संख्या 77 में आहूत बैठक दिनांक 30.10.2025 में प्रकरण को एक माह के अन्दर निस्तारित किये जाने के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवशेष ई0पी0एफ0 देयता के संबंध में असि0 प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार), भविष्य निधि भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर को वस्तुस्थिति स्पष्ट किये जाने के संबंध में पत्र सं0 3114/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/अनु0प्रको0 (224)/2025–26 दिनांक 28.11.2025 प्रेषित किया जा चुका है। उ0प्र0 विधान परिषद की "संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति" के मा0 सभापति महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय स्तर से की गयी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत होना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद प्रकरण में कृत कार्यवाही से अवगत हुई।	
एजेण्डा बिन्दु 14–4 **पेशेन्ट किचन सेवा प्रदाता एवं विश्वविद्यालय के साथ स्थापित**	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि उ0प्र0 विधान परिषद की **"संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति"** के मा0 सभापति महोदय की अध्यक्षता में कक्ष संख्या 77 में आहूत बैठक दिनांक 30.10.2025 जिसमें **अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, सचिव चिकित्सा शिक्षा,**

(अभिनय रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

अनुबन्ध दिनांक 22.05.2018 से 08 मार्च 2022 तक की अवधि के मध्य की गयी सेवाओं के सापेक्ष अनुबन्ध अनुसार अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में।	कुलपति विश्वविद्यालय, वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय, कुलसचिव के प्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी विश्वविद्यालय व अन्य के द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में प्रस्तुत प्रकरण को एक माह में निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये है। **पृष्ठभूमिः** उपरोक्त के क्रम कार्यालय आदेश संख्या–3496 दिनांक 01.11.2025 के द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 06.11.2025 को सम्पन्न हुई, जिसका कार्यवृत्त संलग्न है, जिसमें सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि सहित अध्यक्ष/सदस्यों ने प्रतिभाग किया:– (1) श्री जगरोपन राम, वित्त अधिकारी – अध्यक्ष। (2) श्री प्रदीप कुमार, अपर आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर – वाहय सदस्य। (3) श्री राजकुमार सचवानी, प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य। (4) सुश्री अलका रानी, चीफ डायटीशियन – सदस्य। (5) श्री नरेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखाधिकारी – सदस्य। बैठक दिनांक 06.11.2025 में संस्तुति अनुसार पेशेन्ट किचेन सेवा प्रदाता के दिनांक 22.05.2018 से दिनांक 08.03.2022 के अवशेष एरियर बिलों का भुगतान कार्यालय आदेश सं0 34(ए)/यूपीयूएमएस/2018–19 दिनांक 22.05.2018 में स्वीकृत दरों के अनुसार भुगतान किये जाने के संबंध में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत है। **नियमः** शासन के पत्र सं0 आई/1008818/2025/71–4099/22/2022 दिनांक 30.06.2025 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय आदेश संख्या–3496 दिनांक 01.11.2025 द्वारा गठित समिति की संस्तुति दिनांक 06.11.2025 में पेशेन्ट किचेन सेवा प्रदाता फर्म के दिनांक 22.05.2018 से दिनांक 08.03.2022 तक के अवशेष एरियर बिलों का भुगतान कार्यालय आदेश सं0 34ए/यूपीयूएमएस/2018–19 दिनांक 22.05.2018 में स्वीकृत दरों के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जानी है। **प्रस्ताव का आधारः** अवगत कराना है कि प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में विश्वविद्यालय के विरूद्ध शासकीय देयता को सृजित किया गया है जिसके कारण ऑडिट प्रस्तर पत्र संख्याः AMG-IV/सम्पादन–2/AIR No. 13/2021-22/42,दिनांक 10.01.2022 के निस्तारण में भी बाधा है। सेवा प्रदाता द्वारा कई पत्रों के माध्यम से अनुरोध–पत्र देते हुए अवशेष एरियर के भुगतान की माँग की गयी। पूर्व में भी प्रस्तुत प्रकरण में विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 19.08.2020 में एम0ओ0यू0 दिनांक 22.05.2018 को मान्य करने की संस्तुति की जा चुकी है। पुनः शासन के पत्र सं0 आई/1008818/2025/71–4099/22/2022 दिनांक 30.06.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय आदेश संख्या–3496 दिनांक 01.11.2025 द्वारा गठित समिति की संस्तुति दिनांक 06.11.2025 में पेशेन्ट किचेन सेवा प्रदाता फर्म के दिनांक 22.05.2018 से दिनांक 08.03.2022 तक के अवशेष एरियर बिलों का भुगतान कार्यालय आदेश सं0 34ए/यूपीयूएमएस/2018–19 दिनांक 22.05.2018 में स्वीकृत दरों के अनुसार भुगतान की कार्यवाही हेतु उक्त प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

	प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः शासन के पत्र सं0 आई/1008818/2025/71—4099/22/2022 दिनांक 30.06.2025 एवं उ0प्र0 विधान परिषद की **"संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति** की बैठक दिनांक 30.10.2025 में दिये गये निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय आदेश संख्या—3496 दिनांक 01.11. 2025 द्वारा पेशेन्ट किचेन सेवा प्रदाता फर्म के दिनांक 22.05.2018 से दिनांक 08.03.2022 तक के अवशेष एरियर बिलों का भुगतान करने के संबंध में की गयी संस्तुति दिनांक 06.11.2025 पर विचार करते हुए मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः— मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में गठित समिति द्वारा की गई संस्तुति दिनांक 06.11.2025 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 14—5 **कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गए विभिन्न कार्यालय आदेशो/पत्रों को मा0 कार्यपरिषद द्वारा अवलोकित किये जाने के सम्बन्ध में।**	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 के उपरांत विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय द्वारा विभिन्न कार्यालय आदेश निर्गत किये गये हैं, जिन्हें मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **नियमः** विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के दृष्टिगत उक्त कार्यालय आदेशों को निर्गत किया जाना आवश्यक है। **प्रस्ताव का आधारः** प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में मा0 कुलपति महोदय द्वारा निर्गत किये गये कार्यालय आदेशों को एजेन्डा बिन्दु के रूप में मा0 कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त कार्यालय आदेश अलग बुकलेट में प्रस्तुत हैं। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** मा० कुलपति महोदय द्वारा जारी किये गए विभिन्न कार्यालय आदेशो/पत्रों से मा0 कार्य परिषद अवलोकित होना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः— विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गए विभिन्न कार्यालय आदेशों/पत्रों को मा0 कार्य परिषद द्वारा अवलोकित किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 14—6 **विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के ड्राफ्ट पर कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की प्रथम परिनियमावली प्रख्यापित किये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 30.05.2018 के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम—2015 की धारा—34(1) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की परिनियमावली बनाये जाने संबंधी निर्देश प्रदान किये गये तथा परिनियमावली का आलेख शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार किये गये परिनियमावली का ड्राफ्ट पर अनुमोदन के संबंध में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। **पृष्ठभूमिः** शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 969 दिनांक 08 जून, 2018 के द्वारा परिनियमावली तैयार किये जाने हतु एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति में कतिपय सदस्यों को समय—समय पर परिवर्तित किया गया। कार्यालय आदेश सं0 4141 दिनांक 02 मार्च, 2021 के द्वारा गठित संशोधित समिति द्वारा विभिन्न तिथियों में बैठकें आयोजित करते हुए परिनियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया गया। **कृत कार्यवाहीः** दिनांक 17.05.2025 को समिति के आंतरिक सदस्यों

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो० (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

	द्वारा मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में बैठक करते हुए परिनियमावली के ड्राफ्ट को अंतिम रूप प्रदान किया गया, जिसे विश्वविद्यालय के पत्र सं0 575 दिनांक 17 मई, 2025 के द्वारा शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार किये गये प्रथम परिनियमावली के ड्राफ्ट पर मा0 कार्य परिषद कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार किये गये प्रथम परिनियमावली के ड्राफ्ट पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 14–7 **विश्वविद्यालय में सम्पत्तियों का प्रबन्धन व रखरखाव हेतु सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) के 01 पद सृजित किये जाने, वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सम्पदा रक्षा समिति का गठन किये जाने तथा कार्यवाहक सम्पदा अधिकारी (Officiating Estate Officer) नामित किये जाने के संबंध में।**	**पृष्ठभूमिः** उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा को उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1 सं0742 / 79–वि–1–16–1(क)–7–2015 दिनांक 17, मई, 2016 के कम में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 पारित करते हुये उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान एवं उससे सम्बन्धित दन्त विज्ञान, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं कॉलेज ऑफ फार्मेसी को सम्मिलित करके आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 के धारा 14(i) के (d) में वित्त अधिकारी के कार्यों में अंकित हैं "to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed." उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाते हैं जिनका कार्यकाल लघु अवधि हेतु होता है। उल्लेखनीय है कि एम्स, नई दिल्ली एवं अन्य संस्थानों में सम्पत्ति के प्रबन्ध हेतु सम्पदा रक्षा समिति गठित होती है। विश्वभारती, सेन्ट्रल विश्वविद्यालय, कोलकाता में सम्पत्तियों का प्रबन्धन व रख–रखाव हेतु एक सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) पद की व्यवस्था है। सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परिसर में टाईप–1 केटेगरी के 456 आवास, टाईप–2 श्रेणी के 742 आवास, टाईप–3 श्रेणी के 148 आवास, टाईप–4 श्रेणी के 84 आवास, टाईप–5 श्रेणी के 64 आवास हैं, साथ ही ओल्ड कैम्पस, पैरामेडिकल एवं न्यू कैम्पस में स्थित हॉस्पिटल बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग, नॉन–रेजीडेन्सियल बिल्डिंग, रेजीडेन्सियल बिल्डिंग की भूमि क्षेत्रफल (स्कवायर मीटर) विश्वविद्यालय के भूमि / जमीन का विवरण निम्नवत् हैः– 1. 500 बेडड सुपरस्पेशियलिटी – 42.50 एकड़ 2. मेडिकल कॉलेज परिसर – 41.00 एकड़ 3. न्यू आवासीय परिसर – 22.06 एकड़ 4. पुराना आवासीय परिसर – 14.16 एकड़ 5. पैरामेडिकल परिसर – 45.00 एकड़ 6. अग्नि शमन विभाग परिसर – 3.25 एकड़ **सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) पद की आवश्यकताः** विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों का प्रबन्धन व रख–रखाव हेतु विश्वविद्यालय में एक सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) पद की अति

(अभिनय रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

आवश्यकता है। सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) सम्पत्तियों एवं भूमि और भवनों के प्रभावी प्रबंधन के लिये जिम्मेदार होते हैं। इनका कार्य सुनिश्चित करना होता है कि सम्पत्तियों का नियमित रख–रखाव हो। सम्पदा से सम्बन्धित प्रशासनिक और कानूनी कार्य करना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। सम्पत्तियों से जुड़े वित्तीय लेन–देन और रिकार्ड का प्रबन्धन भी उनके कर्तव्यों में शामिल होता है। सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) का दायित्व सम्पत्तियों का संचालन और सभी सरकारी नियमों और विनियमों के अनुपालन में एक महत्वपूर्ण कार्य है।

प्रस्तावः उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के पास विभिन्न परिसरों में लगभग 167.97 एकड़ भूमि है। विभिन्न परिसरों के सभी भूखण्डों की सुरक्षा के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में सम्पत्तियों के प्रबन्धन व रखरखाव हेतु सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) के 01 पद की आवश्यकता है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

1. पद का नाम : सम्पदा अधिकारी (Estate Officer)
2. पदों की संख्या : 01
3. वेतनमान रू0 : लेवल–10 वेतनमान रू0 56100–177500 (7th CPC)
4. भर्ती का माध्यम : सीधी भर्ती।
5. आयु सीमा : उ0प्र0 शासनादेश के अनुसार।
6. शैक्षणिक योग्यता : किसी मान्यता प्रांप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक।
7. अनुभव : At least 05 (five) years experience in Government Sectors and knowledge in the field of landsettlement, landreform laws, rulesand regulations of land,estate, property tax, rent, laws of municipal, rural, notified areas,panchayet areas, chakbandi & revenue deptt. etc.

उल्लेखनीय है कि एम्स, नई दिल्ली एवं अन्य संस्थानों में सम्पदा रक्षा समिति का प्रचलन है। सम्पदा अधिकारी सम्पदा रक्षा समिति के प्रभारी के रूप में कार्य करेगा व सभी परिसरों का दौरा एवं भूमि सम्पत्तियों के उपयोग की निगरानी करके उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की सम्पदा संबंधी परिसम्पत्यिों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय की भूमि परिसम्पत्तियों पर किसी भी अतिक्रमण/अनाधिकृत कब्जे को हटाने अथवा रोकने के लिये सांविधिक एजेन्सियों, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के समन्वय करने में सशक्त होगा। सम्पदा अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय में दिन प्रतिदिन के आधार पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन–

1. उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के सम्पत्तियों के प्रबन्धन व रखरखाव हेतु सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) के 01 पद सृजित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद् अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

<table>
<tr><td></td><td>2. उपरोक्त के अतिरिक्त जब तक सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) का पद सृजित न हो जाये तब तक वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सम्पदा रक्षा समिति का गठन किया जायेगा तथा कार्यवाहक सम्पदा अधिकारी (Officiating Estate Officer) नामित किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td colspan="2">कार्य परिषद का निर्णयः— (1) विश्वविद्यालय में सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) का 01 पद सृजित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
(2) मा0 कार्य परिषद द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सम्पदा रक्षा समिति का गठन किये जाने तथा कार्यवाहक सम्पदा अधिकारी (Officiating Estate Officer) नामित किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसके लिये मा0 कार्य परिषद द्वारा मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिन्दु 14—8
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना।</td><td>प्रस्तावनाः वर्तमान में विश्वविद्यालय के दंत विज्ञान संकाय में केवल दो विभाग – पेरियोडॉन्टोलॉजी तथा ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी – संचालित हैं, जबकि दंत विज्ञान में कुल 09 विभाग होते हैं। शेष विभाग अभी प्रारंभ न होने के कारण सामान्य जन की सभी प्रकार की दंत समस्याओं का व्यापक उपचार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उक्त के दृष्टिगत जनहित में एक संपूर्ण एवं सुव्यवस्थित डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना आवश्यक है। यह कॉलेज एवं अस्पताल भविष्य में स्नातक एवं स्नातकोत्तर दंत पाठ्यक्रमों के संचालन में भी सहायक होगा तथा विश्वविद्यालय की चिकित्सा सेवाओं को पूर्णता प्रदान करेगा।
पृष्ठभूमिः
• वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित केवल एकमात्र डेंटल कॉलेज किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU), लखनऊ में स्थित है। इस एकमात्र विकल्प की सीमित उपलब्धता राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी शासकीय डेंटल अस्पतालों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
• विश्वविद्यालय के आसपास के 5—6 जिलों में सरकारी डेंटल अस्पताल का उल्लेखनीय अभाव है, जिससे जनसामान्य के लिए समुचित एवं सुलभ दन्त चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता में गंभीर अंतर उत्पन्न हो रहा है।
• इस क्षेत्र में दंत रोगियों की संख्या अत्यधिक है। अतः न केवल गुणवत्तापूर्ण दन्त चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु, बल्कि भावी दंत चिकित्सकों के अकादमिक प्रशिक्षण हेतु भी एक नवीन डेंटल अस्पताल की स्थापना अत्यावश्यक है। ऐसे में एक डेंटल कॉलेज की स्थापना न केवल इन जटिल स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान हेतु सहायक होगी, बल्कि अनुसंधान, उपचार एवं जनस्वास्थ्य उन्नयन की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।
• विश्वविद्यालय में दन्त विज्ञान संकाय अन्य संकायों की तुलना में नवीनतम है, जिसकी स्थापना नवम्बर 2023 में की गई। ऐसे में इस नवगठित संकाय के अंतर्गत दन्त चिकित्सा शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारंभ करने हेतु भी इस कॉलेज एवं अस्पताल की नितांत आवश्यकता है।</td></tr>
</table>

(अभिनय रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

	नियम एवं प्रस्ताव का आधारः यह प्रस्ताव दंत विज्ञान संकाय की बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा दिनांक 19/07/2025 को स्वीकृत डेंटल कॉलेज की स्थापना संबंधी प्रस्ताव के प्रथम चरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। **प्रस्तावः** दंत विज्ञान संकाय के अंतर्गत एक DCI मानकानुसार पूर्णतया सुसज्जित बहुमंजिली डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके निर्माण में 124 करोड़ का व्यय अनुमानित है। साथ ही, अस्पताल के विभिन्न विभागों के संचालन हेतु आवश्यक चिकित्सकों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों के नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहे।
कार्य परिषद का निर्णयः— मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए दंत विज्ञान संकाय के अंतर्गत DCI मानकानुसार डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।	
एजेण्डा बिन्दु 14—9 **हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 में की गई संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा संस्तुति की गईः—

1	इमरजेन्सी एवं ट्रामा में मरीजों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत इमरजेन्सी जोन का विस्तार किये जाने हेतु।
2	विश्वविद्यालय के 500 बैडेड सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में उपकरणों और फर्नीचर को स्पेशलिटी चिकित्सालय में संचालित सुपर स्पेशलिटी एवं स्पेशलिटी विभागों में आवश्यक्तानुसार स्थानान्तरित किए जाने हेतु।
3	विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु 324 अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि हेतु।
4	विश्वविद्यालय के 500 बैडेड सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय में अक्सर होने वाली चोरी की घटना के रोकथाम हेतु।
5	विश्वविद्यालय के रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने विषयक।
6	विश्वविद्यालय में कार्यरत् नॉन पी0जी0 जे0आर0 जो लम्बे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहे है उनके संबंध में अग्रेतर कार्यवाही करने विषयक।
7	हर्बल गार्डन को स्थापित करने हेतु प्रस्ताव।
8	नर्सिंग संवर्ग के पदधारक—नर्सिंग आफीसर, सीनियर नर्सिंग आफीसर, असिस्टेन्ट नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, डिप्टी नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, चीफ नर्सिंग आफीसर के निर्धारित कार्य दायित्व निर्धारित/परिभाषित किये जाने हेतु।
9	विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त टेक्नीशियन संवर्ग के कार्य दायित्व निर्धारित करने विषयक।
10	मेडिकल सोशल सर्विस आफीसर के संवर्ग की स्थानान्तरण पॉलिसी के निर्धारण हेतु ।
11	विश्वविद्यालय में अमृत फार्मेसी प्रारम्भ करने विषयक।
12	चिकित्सालय के वार्ड/आईसीयू में भर्ती मरीजों के डिस्चार्ज के

(अभिनय रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

	बाद मरीजों की Case Sheet File में प्रपत्रों को क्रमानुसार संरक्षित एवं प्रमाणित करवाते हुए चिकित्सा अभिलेख विभाग में जमा करवाने के संदर्भ में।
13	विश्वविद्यालय परिसर में 1422 नग सी0सी0 टी0वी0 कंट्रोल रूम के साथ स्थापित कराये जाने के संबंध में।
14	विश्वविद्यालय के ट्रामा बिल्डिंग में स्थापित सी0टी0 स्कैन मशीन एवं प्रस्तावित एम0आर0आई0 की ऑन साइट रिपोर्टिंग/टेली रिर्पोटिंग एवं USG/Doppler USG/ USG Guided Biopsy/ Drainage/FNAC इत्यादि हेतु रेडियोलॉजिस्ट की सेवा प्राप्ति विषयक ।
15	128 slices CT Scan (PPP) का लोकार्पण।
16	विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से प्राप्त अन्य विविध प्रकरण ।
17	विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग तथा तकनीकी संवर्ग के कार्मिकों की ए0पी0ए0आर0 में प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी का निर्धारण।
18	पैरामेडिकल महाविद्यालय में आवश्यकता अनुसार दुकानों को खोला जाना।
19	दन्त चिकित्सा संकाय हेतु स्थल चिन्हित किये जाने के संबंध में।
20	विश्वविद्यालय के नवनियुक्त गैर–शैक्षणिक कार्मिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।
21	विश्वविद्यालय की Sleep Lab का नाम बदलकर Sleep Disorders Center करने एवं Sleep Disorders Center की SOP निर्धारित करने हेतु।

विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ रक्षित है।

प्रस्तावः हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 में की गई संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 में की गई संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 14–10 **विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु 324 अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि हेतु।**	**प्रस्तावानाः** अवगत कराना है कि कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक में टेबल एजेण्डा–6 के अन्तर्गत 100 (88 सुरक्षा कर्मी एवं 12 सुपरवाइजर) सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था। उल्लेखनीय है कि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकता है, जिसके संबंध में निम्नलिखित से अवगत कराया जाना हैः– 1. वर्तमान में विश्वविद्यालय को कुल 300 सुरक्षा कार्मिक एवं 12 सुपरवाइजर की नियुक्ति उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) के माध्यम से किए जाने का अनुमोदन प्राप्त है। 2. उक्त अनुमोदन के क्रम में वर्तमान में मात्र 212 सुरक्षा कार्मिक ही कार्यरत है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में समस्याएँ आ रही हैं।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

3. वर्तमान में 324 अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यक्ता है। इस संबंध में प्रत्येक बिल्डिंग जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, अस्पताल परिसर, पार्किंग व्यवस्था, ओल्ड तथा न्यू आवासीय परिसर, पैरामेडिकल कैम्पस इत्यादि में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ किये जाने हेतु पुनःपरीक्षण किया गया, जिसे सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न किया जा रहा है। विवरण निम्नवत् है :—

क0	पदनाम	कार्यरत	13वी कार्य परिषद से स्वीकृत पद	प्रस्तावित मांग
1	सहायक सुरक्षा अधिकारी	01	—	—
2	लेडीज सुरक्षा गार्ड	28	—	17
3	सुरक्षा गार्ड	134	88	341 (341—88=253)
4	गनमैन	50	—	48
5	सुपरवाईजर	निल	12	18 (18—12=06)
	योग	**212**	**100**	**424 (424—100=324)**

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः— हॉस्पिटल बोर्ड की दिनांक 26.11.2025 को आयोजित बैठक में उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति प्रदान करते हुए कार्यपरिषद की बैठक में रखने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी :—

1. सर्वप्रथम 100 (88 सुरक्षा कार्मिक + 12 सुपरवाइजर) अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि के प्रस्ताव को कार्य परिषद की 13वीं बैठक दिनांक 11.10.2025 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में 100 उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से लेने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए एवं उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा अतिरिक्त 100 सुरक्षा कार्मिकों विश्वविद्यालय को न उपलब्ध कराने की दशा में उक्त प्रस्ताव को अगली कार्य परिषद में ओपेन टेंडर हेतु प्रस्तुत किया जाए।
2. 324 अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि एवं उक्त सुरक्षा कार्मिकों को सर्विस कान्ट्रेक्ट के माध्यम से staggered manner में लिए जाने के प्रस्ताव हेतु संस्तुति प्रदान करते हुए कार्यपरिषद की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्तावः हॉस्पिटल बोर्ड के उक्त निर्णय पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।

कार्य परिषद का निर्णयः— मा0 कार्य परिषद द्वारा हॉस्पिटल बोर्ड के उक्त निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 14—11

विश्वविद्यालय के रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने विषयक।

प्रस्तावनाः अवगत कराना है हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 को आयोजित की गई जिसके एजेण्डा बिंदु—1.5 के अन्तर्गत उक्त एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विश्वविद्यालय के रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने हेतु आदेश सं0 3326 दिनांक 22 अक्टूबर, 2025 के द्वारा मा0 कुलपति महोदय ने 08 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

	कृत कार्यवाही: उक्त समिति की दिनांक 04.11.2025 को आयोजित बैठक में रेजीडेन्ट डॉक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में SOP for Medical Facility to residents (JR and SR) and UG Students of all faculties of UPUMS तैयार की गयी, जो निम्नवत् है:– **SOP for Medical Facility to Residents (JR and SR) and UG students of all faculties of UPUMS** A. **Residents (JR/SR)** 1. All the residents will be provided with all the medical facilities available in the University as provided to other employees of UPUMS during their specified term of work. 2. Deductions for the above services will be done under heading "Medical Deduction" from their monthly salary as per the pay scales of residents (JR/SR). a. Pay Level 10 : Deduction Rs. 70.00 per month b. Pay Level 11 : Deduction Rs. 100.00 per month 3. However, no medical reimbursement for treatment done outside the University will be admissible. 4. Dependents of the residents will not be entitled for the above mentioned medical benefits. B. **UG Students of all Faculties** 1. All the UG students will be provided with OPD and Emergency facilities as recommended by the consultant, free of cost and with no deductions from their annual fee. • For smooth implementation of the proposed medical facilities for residents and UG students a health card can be issued mentioning the details of residents/student and validity period of the card by the respective Deans of the Faculties. • Health card need to be submitted by card holder at the completion of course/tenure for granting relieving certificate as part of no-dues application from the University. हॉस्पिटल बोर्ड में यह प्रस्तावित किया गया था कि विश्वविद्यालय के रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने एवं स्वास्थ्य कार्ड बनवाने हेतु समिति द्वारा प्रस्तुत SOP for Medical Facility to residents (JR and SR) and UG Students of all faculties of UPUMS को हॉस्पिटल बोर्ड से अनुमन्य कराते हुए कार्यपरिषद की बैठक में रखने हेतु निर्णयार्थ । **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय**:– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी। साथ ही सीटी एवं एमआरआई हेतु कन्सलटेंट के हस्ताक्षर, संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं चिकित्सा अधीक्षक के प्रतिहस्ताक्षर की व्यवस्था को अनिवार्यतः लागू करने का निर्णय लिया गया। **प्रस्ताव**: हॉस्पिटल बोर्ड के उक्त निर्णय पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।
कार्य परिषद का निर्णय:– **मा0 कार्य परिषद द्वारा SOP for Medical Facility to Residents (JR and SR) and UG students of all faculties of UPUMS एवं हॉस्पिटल बोर्ड के उक्त निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
एजेण्डा बिन्दु 14–12	**प्रस्तावना**: अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में गत वर्ष 205 नग कैमरे Centralised Monitoring के साथ यू0पी0डेस्को के माध्यम से

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

विश्वविद्यालय परिसर में 1422 नग सी0सी0टी0वी0 कंट्रोल रूम के साथ स्थापित कराये जाने के संबंध में।	लगवाये गये थे तथा इससे पूर्व भी आवश्यकता अनुरूप अलग–अलग भवनों में कुछ कैमरे स्थापित किये गये थे। विश्वविद्यालय परिसर की भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्रफल के अनुसार और अधिक कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता है। मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19.08.2025 को बैठक आयोजित की गई जिसमें निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय परिसर का भौतिक सर्वेक्षण करते हुए लगाये जाने वाले कैमरो की आवश्यकता का निर्धारण किया जाये। तद्क्रम में विश्वविद्यालय के चिकित्सालय परिसर, मेडिकल कॉलेज परिसर, पैरामेडिकल कालेज परिसर, एकेडमिक ब्लॉक (मेडिकल एवं पैरामेडिकल कॉलेज परिसर), प्रशासनिक भवन, ट्रॉमा सेंटर, ओल्ड ओ0पी0डी0, न्यू0ओ0पी0डी0, छात्रावासों तथा आवासीय परिसरों एवं कनेक्टिगं सड़कों में कुल 1422 नग कैमरे लगाये जाने का आकलन किया गया। **पृष्ठभूमि:**– विश्वविद्यालय द्वारा यू0पी0डेस्को लखनऊ को पत्र सं0 2157/ई/यूपीयूएमएस/सी0ए0सी0(2130–सीडी)/2025–26 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा परिसर में पूर्व से स्थापित सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम में अन्य आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित कराए जाने के संबंध में संलग्न सूची में वर्णित स्थानों का सर्वेक्षण कराते हुए वित्तीय एवं तकनीकी अगणन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में यू0पी0डेस्को लखनऊ द्वारा पत्र सं0 डी0 25–26/2306 दिनांक 26.09.2025 के माध्यम से धनराशि रू0 966.45 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया। परीक्षणोपरान्त उक्त आगणन की धनराशि रू0 935.72 लाख आकलित की गई। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की 13वीं बैठक में टेबल एजेण्डा–4 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया था कि "विश्वविद्यालय में सुरक्षा मजबूत किये जाने के उद्देश्य से 1422 नग सी0सी0टी0वी0 कैमरे कंट्रोल रूम सहित स्थापित किये जाने का कार्य यू0पी0डेस्को के माध्यम से कराये जाने हेतु, जिस पर कुल रू0 935.72 लाख व्यय विश्वविद्यालय की आय/बचत अथवा बजट से किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।" उक्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा यूपीडेस्को को कार्य आदेश सं0 2994/ई/सीएसी(2303–सीडी)/2025–26 दिनांक 17.11.2025 जारी किया गया था एवं उक्त कार्य आदेश को प्रशासनिक कारणों से पत्र सं0 3046/ई/यूपीयूएमएस/सीएसी(2303–सीडी)/2025–26 दिनांक 22.11.2025 के द्वारा अग्रिम आदेशों तक निरस्त कर दिया गया। हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 में उक्त प्रकरण के विषय में यह प्रस्तावित किया गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा यू0पी0डेस्को लखनऊ को पत्र सं0 2157/ई/ यूपीयूएमएस /सी0ए0सी0(2130–सीडी) /2025–26 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा परिसर में पूर्व से स्थापित सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम में अन्य आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित कराए जाने के संबंध में संलग्न सूची में वर्णित स्थानों का सर्वेक्षण कराते हुए वित्तीय एवं तकनीकी अगणन उपलब्ध कराने हेतु ही अधिकृत किया गया था अतः उक्त कार्य को यू0पी0डेस्को की बजाए ओपेन टेंडर के माध्यम से कराए जाने की अनुमति या अन्य पीएसयू फर्म को प्रोजेक्ट

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

<table>
<tr><td></td><td>मैनेजमेंट कन्सल्टेंट नामित करते हुए उनसे साइट सर्वे, डी0पी0आर0 एवं बी0ओ0क्यू0 मॅगवाकर तुलनात्मक आधार पर न्यूनतम दर निर्धारित करते हुए उक्त कार्य करवाया जाना उचित प्रतीत होता है
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः— हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त कार्य को directly यू0पी0डेस्को के माध्यम से कराने के बजाए ओपेन टेंडर के माध्यम से कराने हेतु प्रस्ताव को सम्यक विचारोपरांत संस्तुति प्रदान करते हुए कार्यपरिषद की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गयी ।
प्रस्ताव :— हॉस्पिटल बोर्ड के उक्त निर्णय पर मा0 कार्यपरिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">कार्य परिषद का निर्णयः— मा0 कार्य परिषद द्वारा हॉस्पिटल बोर्ड के उक्त निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिन्दु 14—13
विश्वविद्यालय के ट्रामा बिल्डिंग में स्थापित सी0टी0 स्कैन मशीन एवं प्रस्तावित एम0आर0आई0 की ऑन साइट रिपोर्टिंग/टेली रिर्पोटिंग एवं USG/Doppler USG/ USG Guided Biopsy/ Drainage/FNAC इत्यादि हेतु रेडियोलॉजिस्ट की सेवा प्राप्ति विषयक ।</td><td>प्रस्तावनाः अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में PPP model पर CT Scan व MRI की सुविधा उपलब्ध है, किंतु रेडियोलॉजी विभाग में कोई भी रेडियोलॉजिस्ट तैनात नहीं है, काफी प्रयासों के बावजूद स्वीकृत पदों हेतु रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय में रेडियोलॉजी विभाग हेतु सृजित पदों का विवरण निम्नवत है :—
प्रोफसर — 2
एसोसिएट प्रोफेसर — 8
असिस्टेंट प्रोफेसर — 17

विश्वविद्यालय में पीपीपी मॉडल पर स्थापित CT Scan/MRI हेतु वर्तमान में टेलीरिर्पोटिंग की सुविधा फर्म द्वारा प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालय में ट्रामा बिल्डिंग में पूर्व से सी0टी0 स्कैन मशीन स्थापित है एवं एमआरआई मशीन की स्थापना भी शीघ्र प्रस्तावित है। अतः सी0टी0/एम0आर0आई0 की ऑन साइट रिपोर्टिंग/टेली रिर्पोटिंग एवं USG/Doppler USG/ USG Guided Biopsy/ Drainage/FNAC इत्यादि हेतु प्रति केस पारिश्रमिक के आधार पर रिर्पोटिंग करने अथवा प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए/सप्ताह में कुछ दिनों के लिए रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है।
हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 में उक्त प्रकरण के विषय में यह प्रस्तावित किया गया था कि विश्वविद्यालय में जब तक नियमित रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए ओपेन सर्विस टेंडर/वाक इन इंटरव्यूह के माध्यम से किसी रेडियोलॉजिस्ट को प्रति केस पारिश्रमिक के आधार पर लेने हेतु निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः— हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित 05 सदस्यीय समिति के द्वारा उक्त प्रस्ताव हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य करते हुए समस्त पहलुओं पर विचारोपरान्त अपना सुस्पष्ट प्रस्ताव देने हेतु संस्तुति प्रदान की गयीः—
1. एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, के0जी0एम0यू0, आर0एम0एल0 एवं प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन।
2. ऑन साइट प्रति केस USG एवं एम0आर0आई0/सी0टी0 स्कैन</td></tr>
</table>

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

	प्रति केस Tele-Reporting के लिए पारिश्रमिक का निर्धारण। 3. मरीज हित में प्रतिदिन/सप्ताह में कुछ निर्धारित दिवसों में या तो 9 से 5 बजे अथवा कुछ घंटों हेतु रेडियोलॉजिस्ट की सेवा लिए जाने हेतु। **प्रस्ताव:** हॉस्पिटल बोर्ड के उक्त निर्णय पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।
कार्य परिषद का निर्णय:– मा0 कार्य परिषद द्वारा हॉस्पिटल बोर्ड के उक्त निर्णय के क्रम में कार्यवाही के संबंध में एक समिति का गठन किये जाने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 14–14 **विश्वविद्यालय के नवनियुक्त गैर–शैक्षणिक कार्मिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।**	**प्रस्तावना:** विश्वविद्यालय के नवनियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को उनके योगदान की तिथि से दो वर्ष पूर्ण होने से पूर्व किसी अन्य संस्था में आवेदन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न किये जाने विषयक उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांक 17.06.2021 द्वारा निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों को विश्वविद्यालय के नवनियुक्त चिकित्सा शिक्षकों पर लागू किया गया है। विश्वविद्यालय के नवनियुक्त गैर–शैक्षणिक कार्मिकों द्वारा आयेदिन अन्यत्र विभागों में आवेदन किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया जाता है। विगत वर्षों में यह देखा गया है कि नर्सिंग एवं तकनीकी संवर्ग के बहुत अधिक संख्या में विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत विश्वविद्यालय से त्यागपत्र देकर जा चुके हैं जिसके कारण विश्वविद्यालय की चिकित्सीय सेवायें प्रभावित हो रही हैं। उदाहरणतः नर्सिंग संवर्ग में विगत 2 वर्षों में विज्ञापित विज्ञापन के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों में से 64 प्रतिशत नर्सिंग कार्मिकों द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया है। **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय:–** हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 में उक्त प्रकरण के विषय में यह प्रस्तावित किया गया था कि:– 1. विश्वविद्यालय के नवनियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की भांति नवनियुक्त गैर–शैक्षणिक कार्मिकों को उनके योगदान की तिथि से दो वर्ष पूर्ण होने से पूर्व किसी अन्य संस्था/विभाग में आवेदन हेतु उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के पत्र दिनांक 17.06.2021 में विहित व्यवस्था के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न किये जाने का प्रस्ताव है। 2. उक्त के अतिरिक्त यदि कोई नवनियुक्त कार्मिक 02 वर्ष की निर्धारित अवधि में त्यागपत्र देता है तो सक्षम स्तर के अनुमोदन से उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जायेगा किन्तु त्यागपत्र पत्र को तकनीकी त्यागपत्र नहीं माना जायेगा और भविष्य हेतु उनकी सेवा जोड़े जाने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव की संस्तुति कर कार्य परिषद की बैठक में रखने हेतु निर्णय लिया गया। **प्रस्ताव:** हॉस्पिटल बोर्ड के उक्त निर्णय पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।
कार्य परिषद का निर्णय:– मा0 कार्य परिषद द्वारा हॉस्पिटल बोर्ड के उक्त निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 14–15	**पृष्ठभूमि:** विभिन्न चयन प्रक्रियाओं में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ज्वाइन

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची बनाये जाने का प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में।	न करने या अल्प अवधि में त्यागपत्र देने की स्थिति लगातार सामने आती है। इससे चयन प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करना पड़ता है, जिसके कारण संस्थान के संसाधनों एवं समय की अनावश्यक हानि होती है। **प्रस्तावित कार्यवाहीः** विश्वविद्यालय के सभी चयन प्रक्रियाओं में आवश्यकता अनुसार प्रतीक्षा सूची तैयार की जा सकती है, जो एक वर्ष तक अथवा नई चयन विज्ञप्ति जारी होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगी। **प्रस्तावः** भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष जारी विज्ञापनों के एवं उपरोक्त प्रस्तावित कार्यवाही के अनुसार चयन प्रक्रियाओं में प्रतीक्षा सूची तैयार करने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद अनुमति/अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः— मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 14—16 **CBT परीक्षा आयोजित करने हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए ओपन टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करने अथवा UPPSC/UPSSSC के माध्यम से कराये जाने सम्बन्ध में।**	**पृष्ठभूमिः** विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, नर्सिंग चयन प्रक्रियाओं तथा छात्रों के चयन हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test – CBT) आयोजित किये जाने आवश्यकता है। पारदर्शिता, तकनीकी सुरक्षा तथा प्रभावी परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह परीक्षा किसी विशेषीकृत एवं अनुभवी सेवा प्रदाता कंपनी (ओपन टेंडर के माध्यम से) अथवा UPPSC/UPSSSC के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। **प्रस्तावित कार्यवाहीः** नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार CBT परीक्षा संचालन हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन हेतु ओपन टेंडर प्रक्रिया अथवा UPPSC/UPSSSC के माध्यम से आयोजित किया जाये। **प्रस्तावः** CBT परीक्षा संचालन हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए ओपन टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करने अथवा UPPSC/UPSSSC के माध्यम से आयोजन हेतु मा0 कार्य परिषद अनुमति/अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः— मा0 कार्य परिषद द्वारा ओपन टेण्टर के माध्यम से CBT परीक्षा संचालन हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किये जाने के निर्देश दिये गये।	
एजेण्डा बिन्दु 14—17 **विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2025 में लिये गये निर्णयों को मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2025 को आयोजित की गयी जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2025 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ रक्षित है। **प्रस्तावः** विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2025 में लिये गये निर्णयों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः— मा0 कार्य परिषद द्वारा विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2025 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 14—18 **रेजीडेन्ट डॉक्टर्स एवं नर्सिंग ऑफिसर के मध्य हुए विवाद प्रकरण में जाँच अधिकारी की जाँच आख्या के आधार पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः** कार्यालय आदेश संख्या 1197 दिनांक 28.06.2025 के क्रम में रेजीडेन्ट डॉक्टर्स एवं नर्सिंग कार्मिकों के मध्य उत्पन्न विवाद के संबंध में विभागीय आचरण की जाँच डॉ० नरेश पाल सिंह, प्रोफेसर एवं नामित जाँच अधिकारी द्वारा की गई, जिनके पत्र संख्या 350 दिनांक 20.09.2025 द्वारा विस्तृत जाँच आख्या प्रस्तुत किया गया है। जाँच आख्या के आधार पर संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने संबंधी प्रस्ताव कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

<table>
<tr><td></td><td>है।

पृष्ठभूमिः अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया गया है कि डॉ० शुभम, डॉ० सचिन एवं डॉ० संदीप, जूनियर रेज़ीडेन्ट, अस्थि रोग विभाग द्वारा कार्यस्थल पर गाली–गलौज, अमर्यादित व्यवहार तथा विभागीय एवं विश्वविद्यालय की आचरण नियमावली के अनुरूप कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण वे दोषी पाये गये हैं। साथ ही श्रीमती दिव्या तिवारी, नर्सिंग ऑफिसर को भी विश्वविद्यालय की आचरण नियमावली के अनुरूप अपने कार्यस्थल पर कार्य न करने का दोषी पाया गया है।

इसी क्रम में अवगत कराना है कि आंतरिक जांच समिति की आख्या दिनांक 27.03.2025 के निष्कर्ष में यह उल्लेख है कि डॉ० शुभम, डॉ० सचिन एवं डॉ० संदीप द्वारा किया गया कृत्य POSH Act की श्रेणी में नहीं आता है। विधिक परामर्श में यह भी अंकित किया गया है कि जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट के आधार पर सक्षम अधिकारी निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र हैं, जिसके अन्तर्गत आचरण नियमावली के अनुरूप निर्णय लिया जाना उचित होगा।

प्रस्तावः जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के आधार पर डॉ० शुभम, डॉ० सचिन एवं डॉ० संदीप, जूनियर रेजीडेन्ट, अस्थि रोग विभाग एवं श्रीमती दिव्या तिवारी, नर्सिंग ऑफिसर दोषी पाये जाने के क्रम में इनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।</td></tr>
<tr><td colspan="2">**कार्य परिषद का निर्णयः–** **मा0 कार्य परिषद द्वारा डॉ० शुभम, डॉ० सचिन एवं डॉ० संदीप, जूनियर रेजीडेन्ट, अस्थि रोग विभाग एवं श्रीमती दिव्या तिवारी, नर्सिंग ऑफिसर को कड़ी चेतावनी निर्गत किये जाने एवं चेतावनी पत्र व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न किये जाने के निर्देश दिये गये।**</td></tr>
<tr><td>**एजेण्डा बिन्दु 14–19**
प्रो0 श्री रामब्रज सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी के द्वारा CISF, ASG Banglore में Asstt. Sub-Inspector (Exe) पद पर दिनांक 05.09.2015 से 29.04.2021 तक तथा Sub-Inspector (Exe) पद पर दिनांक 30.04.2021 से 18.03.2024 तक की गयी सेवाओं को इस विश्वविद्यालय में की जा रही वर्तमान सेवा में जोड़े जाने के सम्बन्ध में।</td><td>**प्रस्तावनाः–** श्री रामब्रज सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 20-06-2024, 08-01-2025 तथा 03-07-2025 के माध्यम से CISF, ASG Banglore में Asstt. Sub-Inspector (Exe) पद पर दिनांक 05.09.2015 से 29.04.2021 तक तथा Sub-Inspector (Exe) पद पर दिनांक 30.04.2021 से 18.03.2024 तक की गयी सेवाओं को इस विश्वविद्यालय में की जा रही वर्तमान सेवा में जोड़ने तथा दिनांक 19.03.2024 से 25.03.2024 तक कुल 07 दिन को कार्यभार ग्रहण काल अवधि प्रदान करने के साथ उक्त 07 दिन की अवधि का देय वेतन लाभ तथा EL, HPL व PL अवकाश तथा LTC संबंधी लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अनुरोध के सम्बन्ध में।
पृष्ठभूमिः– श्री रामब्रज सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये उक्त अनुरोध के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रकरण को मा0 कार्य परिषद के सम्मुख रखने का निर्णय लिया गया है।
कृत कार्यवाही/नियम/निष्कर्ष/निर्णयः– अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन सं0 3477/UPUMS/Recruitment Cell/(944–CD)/2023–24 दिनांक 30.11.2023 (विज्ञापन सं0 34/UPUMS/Recruitment Cell/2023–24(Revised) के अन्तर्गत श्री रामब्रज सिंह को Assistant</td></tr>
</table>

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

	Security Officer पे मैट्रिक्स रू0 47600—151100, लेवल—08 के पद हेतु नियुक्ति पत्र संख्या 5166/E/UPUMS/Recruitment Cell/2023—24 दिनांक 07.03.2024 को जारी किया गया है। श्री रामब्रज सिंह द्वारा उक्त पद पर दिनांक 26.03.2024 के पूर्वान्ह को योगदान दिया गया। 1. श्री रामब्रज सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत **Service Cum Experience Certificate** सं0 E-42020/CISF/KIA/DOC/S.Cer/2024/2933 दिनांक 02.03.2024 में उल्लेखित है कि इनके द्वारा Asstt. Sub-Inspector (Exe) पद पर दिनांक 05.09.2015 से 29.04.2021 तक तथा Sub-Inspector (Exe) पद पर दिनांक 30.04.2021 से 18.03.2024 तक कार्य किया गया है। 2. श्री रामब्रज सिंह के पूर्व नियोक्ता (Office of DIG/CASO, CISF Unit, ASG Bengaluru) द्वारा जारी **Relieving Order** सं0 E-28020/CISF/BIA/PEN/Tech.Res./2024-3682 दिनांक 18.03.2024 में उल्लेखित है कि इन्हें Technically कार्यमुक्त किया गया है। 3. श्री रामब्रज सिंह के अनुरोध पत्र दिनांक 15-04-2024 के सन्दर्भ में तकनीकि त्यागपत्र दिये जाने की दशा में कार्यालय ज्ञापन सं0 1669266628362 दिनांकित 24-11-2022 में निहित व्यवस्था के अनुपालन में श्री सिंह के NPS PRAN— 110056701660 को CISF से इस विश्वविद्यालय में शिफ्ट किया जा चुका है। 4. श्री रामब्रज सिंह के अनुरोध पत्र दिनांक 20.06.2024 के सन्दर्भ में तकनीकि त्यागपत्र दिये जाने की दशा में कार्यालय ज्ञापन सं0 1669266628362 दिनांकित 24.11.2022 के अनुपालन में श्री रामब्रज सिंह के पूर्व नियोक्ता कार्यालय (Office of DIG/CASO, CISF Unit, ASG Bengaluru) को पत्र सं0 1816/ई/यूपीयूएमएस/अधि0—05 (2258—सीडी)/ 2024—25 दिनांक 27.08.2024 द्वारा श्री रामब्रज सिंह की मूल सेवा पुस्तिका, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, इस्तीफे के समय इनके अवकाश खाते में देय अर्जित एवं चिकित्सा अवकाश का सत्यापित लेखा तथा श्री रामब्रज सिंह ने CISF Unit, ASG Bengaluru में प्रदान की गयी सेवा दिनांक 05.09.2015 से 29.04.2021 की ग्रेच्युटी का भुगतान कैलकुलेशन शीट सहित दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए पत्र प्रेषित किया गया। 5. Office of DIG/CASO, CISF Unit, ASG Bengaluru ने पत्र सं0 F-20014/CISF/LPC-OUT/BIAL/2024/ 12551 दिनांक 09-09-2024 द्वारा श्री रामब्रज सिंह के **Last Pay Certificate** प्रेषित किया गया। 6. Office of DIG/CASO, CISF Unit, ASG Bengaluru ने पत्र सं0 ई—36023/केऔसुब/बीआईए/दस्तावेज—बाहर/2024/6216 दिनांक 20-09-2024 द्वारा श्री रामब्रज सिंह की **Service Book (No.**150404828) मूल रूप में उपलब्ध कराते हुये पत्र प्रेषित किया गया है । अतः इनकी मूल सेवा पुस्तिका कार्यालय को प्राप्त हो

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

चुकी है।

7. Office of DIG/CASO, CISF Unit, ASG Bengaluru ने पत्र सं0 E-28015/CISF/BIA/PEN/2024 /12528 दिनांक 09.09.2024 द्वारा श्री रामब्रज सिंह के **Gratuity Calculation on Technical resignation** संबंधी पत्र प्रेषित किया गया।
8. श्री रामब्रज सिंह के अनुरोध पत्र दिनांक 08.01.2025 के सन्दर्भ में भारत सरकार के केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्यग्रहण समय) नियम,1979 के क्रम में श्री सिंह के प्रकरण में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता द्वारा विधिक परामर्श दिया गया। विधिक परामर्श की प्रति।
9. अवगत कराना है कि पत्र संख्या 325/यूपीयूएमएस/अधि0–05 (2258–सीडी)/2025–26 दिनांक 22.04.2025 द्वारा श्री रामब्रज सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी ने 01 वर्ष अर्थात (26.03.2024 से 25.03.2025 तक) की परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण की गयी तथा इनकी दिनांक 26.03.2025 को परिवीक्षा अवधि समाप्त करते हुये वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमन्य की गयी।
10. श्री रामब्रज सिंह के अनुरोध पत्र दिनांक 03.07.2025 के सन्दर्भ में भारत सरकार के **Technical Resignation and Lien** के कार्यालय ज्ञापन 1669266628362 दिनांकित 24.11.2022 तथा वित्त पथ 2022 में निहित व्यवस्था के आधार पर श्री रामब्रज सिंह को सेवा सम्बन्धी लाभों को अनुमन्य किये जाने का निम्नवत् प्रस्ताव हैः–

A- **वित्त पथ–2022** में **अर्हकारी सेवा की गणना** के बिन्दु सं0 3 में सेवा जोड़ने सम्बन्धी निम्नवत् व्यवस्था **"यदि किसी कर्मचारी ने भारत सरकार में सेवा की है और उसके उपरान्त राज्य सरकार में उसकी नियुक्ति हो जाती है तो ऐसी दशा में शासनादेश संख्या सा03–1239/दस– 917/70 दिनांक 13–09–1982 सपठित शासनादेश संख्या सा–3–882/दस–913/84 दिनांक 09–04–1985 के अनुसार भारत सरकार के अधीन की गयी सेवा जोड़ी जायेगी।"** के अनुपालन में श्री रामब्रज सिंह के द्वारा CISF, ASG Banglore में Asstt. Sub-Inspector (Exe) पद पर दिनांक 05.09.2015 से 29.04.2021 तक तथा Sub-Inspector (Exe) पद पर दिनांक 30.04.2021 से 18.03.2024 तक की गयी सेवाओं को इस विश्वविद्यालय में की जा रही वर्तमान सेवा में जोड़ा जा सकता है।

B- **वित्त पथ 2022** के (ख) **कार्यभार ग्रहण काल (Joining Time)** के अनुपालन में इन्हें दिनांक 19.03.2024 से 25.03.2024 तक कुल 07 दिन का कार्यभार ग्रहण काल अवधि वित्त पथ 2022 के **मूल नियम–105 व 107(ख)** द्वारा प्रदान की जा सकती है चूंकि अवगत कराना है कि इनके पूर्व नियोक्ता के कार्यालय से आगरा कैंट तक की दूरी **2174 किमी0** है, जोकि 2000 किमी0 से अधिक है ।(रेल टिकट की छायाप्रति–

C- **वित्त पथ 2022** के (ख) **कार्यभार ग्रहण काल (Joining Time)**

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

	के अनुपालन में श्री रामब्रज सिंह को दिनांक 19.03.2024 से 25.03.2024 तक कुल 07 दिन की कार्यभार ग्रहण काल अवधि को नियमानुसार सेवा में वित्त पथ 2022 के **मूल नियम–105** द्वारा नियमित किया जा सकता है। D- **वित्त पथ 2022** के (ख) **कार्यभार ग्रहण काल (Joining Time)** निम्नवत् व्यवस्था की गई है:–**कार्यभार ग्रहण काल अवधि में देय वेतन (मूल नियम–107)** के अनुपालन में LPC (मूल वेतन रू0–39900/–) के आधार पर श्री रामब्रज सिंह को कुल 07 दिन के वेतन का भुगतान किया जा सकता है चूंकि श्री रामब्रज सिंह को इनके पूर्व नियोक्ता द्वारा दिनांक 18.03.2024 तक ही वेतन प्रदान किया गया है । इन्हें कार्यभार ग्रहण करने में लगे कुल 07 दिन (दिनांक 19.03.2024 से 25.03.2024) का वेतन आहरित नहीं हुआ है। E- तकनीकी त्यागपत्र दिये जाने की दशा में Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievance & Pensions के कार्यालय ज्ञापन सं0 1669266628362 दिनांकित 24.11.2022 के अनुपालन में श्री रामब्रज सिंह की पिछली सेवा में शेष कुल **80 दिन** का **Earned Leave (EL)** व **128 दिन** का **Half Pay Leave (HPL)** तथा **15 दिन** का **पितृत्व अवकाश** इनकी सेवा पुस्तिका में अंकित विवरण के आधार पर वर्तमान सेवा के अवकाश लेखा में जोड़ा जा सकता है। F- तकनीकी त्यागपत्र दिये जाने की दशा में Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievance & Pensions के कार्यालय ज्ञापन सं0 1669266628362 दिनांकित 24.11.2022 के अनुपालन में श्री रामब्रज सिंह की पिछली सेवा में ब्लाक वर्ष 2022–2025 में वर्ष 2022 गृह नगर एल0टी0सी0 तथा वर्ष 2023 में गृह नगर एल0टी0सी0 ले चुके हैं । साथ ही अवगत कराना है कि इनकी **एक HTC तथा चार वर्षों में एक बार LTC शेष है** इनकी सेवा पुस्तिका में अंकित विवरण के आधार पर वर्तमान सेवा में ब्लाक वर्ष 2022 से 2025 के अन्तर्गत अनुमन्य किया जा सकता है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि श्री रामब्रज सिंह के सेवा जोड़े जाने सम्बन्धी दस्तावेज इनके पूर्व नियोक्ता (Office of DIG/CASO, CISF Unit, ASG Bengaluru) द्वारा उपलब्ध कराये जा चुके हैं । साथ ही इनके द्वारा विश्वविद्यालय में 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुये दिनांक 26-03-2025 से परिवीक्षा अवधि समाप्त की जा चुकी है। अतः प्रस्तुत प्रस्ताव A, B, C, D, E एवं F के क्रम में श्री रामब्रज सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी के द्वारा CISF, ASG Banglore में Asstt. Sub-Inspector (Exe) पद पर दिनांक 05.09.2015

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

	से 29.04.2021 तक तथा Sub-Inspector (Exe) पद पर दिनांक 30.04.2021 से 18.03.2024 तक की गयी सेवाओं को इस विश्वविद्यालय में की जा रही वर्तमान सेवा में जोड़ने तथा दिनांक 19.03.2024 से 25.03.2024 तक कुल 07 दिन को कार्यभार ग्रहण काल अवधि प्रदान करने के साथ उक्त 07 दिन की अवधि का देय वेतन लाभ तथा EL, HPL व PL अवकाश तथा LTC संबंधी लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु मा0 कार्यपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करते हुए सेवा जोड़े जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जाना उचित होगा। **प्रस्ताव का आधारः–** भारत सरकार के **Technical Resignation and Lien** के कार्यालय ज्ञापन 1669266628362 दिनांकित 24.11.2022 **तथा वित्त पथ 2022** में निहित व्यवस्था के आधार पर श्री रामब्रज सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी के द्वारा CISF, ASG Banglore में Asstt. Sub-Inspector (Exe) पद पर दिनांक 05.09.2015 से 29.04.2021 तक तथा Sub-Inspector (Exe) पद पर दिनांक 30.04.2021 से 18.03.2024 तक की गयी सेवाओं को इस विश्वविद्यालय में की जा रही वर्तमान सेवा में जोड़ने तथा दिनांक 19.03.2024 से 25.03.2024 तक कुल 07 दिन को कार्यभार ग्रहण काल अवधि प्रदान करने के साथ उक्त 07 दिन की अवधि का देय वेतन लाभ तथा EL, HPL व PL अवकाश तथा LTC संबंधी लाभ अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव है। **प्रस्तावः–** श्री रामब्रज सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी की सेवा जोड़े जाने सम्बन्धी प्रकरण को शासन को प्रेषित किये जाने हेतु मा0 कार्यपरिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा श्री रामब्रज सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी की सेवा जोड़े जाने सम्बन्धी प्रकरण को शासन को प्रेषित किये जाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 14–20 **विश्वविद्यालय में "Paramedical" शब्द के स्थान पर "Allied and Healthcare" शब्दावली का प्रयोग किये जाने हेतु उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की सम्बंधित धाराओं के संशोधन के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः** संकायाध्यक्ष, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय द्वारा अपने पत्र सं0 2565/डीन/एफपीएस/यूपीयूएमएस/2025–26 दिनांक 18.07.2025 के माध्यम से "Paramedical" शब्द के स्थान पर "Allied and Healthcare" शब्दावली का प्रयोग किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है जिसके दृष्टिगत उक्त प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त विषय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की सातवीं विद्या परिषद की बैठक में प्रस्ताव को सिद्वान्ततः अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि उक्त को डीन कमेटी के माध्यम से कार्य परिषद में प्रस्तुत किया जाय तभी इस विषय को लागू किया जाय। **पृष्ठभूमिः** अवगत कराना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन "National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP)" द्वारा पत्र सं0 Z/103/2024-AHS-DOHFW Department, FTS-8309547 दिनांक 01 जुलाई, 2025 को निर्गत परिपत्र के अनुसार "Paramedical" शब्द का प्रयोग समस्त शासकीय पत्राचार, नीतियों, विज्ञापनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संस्थागत नामों, भर्ती अधिसूचनाओं, शैक्षणिक सामग्री एवं समस्त प्रकार के अभिलेखों/पोर्टलों में "Allied and Healthcare" शब्दावली से प्रतिस्थापित किये जाने की अनुशंसा की गयी है। उक्त परिवर्तन National Commission for Allied and Healthcare Professions Act,

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

2021 के तहत मानकीकरण एवं एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 की धारा 25(1) में ''पैरामेडिकल विज्ञान'' शब्दावली का ही प्रयोग हुआ है। अतः "Paramedical" शब्द के स्थान पर "Allied and Healthcare" शब्दावली का प्रयोग किये जाने हेतु उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की सम्बंधित धाराओं में संशोधन होना होगा जो शासन स्तर पर ही संभव है। अतः कार्य परिषद के समक्ष उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

नियम/कृत कार्यवाही/निर्णयः अवगत कराना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन "National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP)" द्वारा पत्र सं0 Z/103/2024-AHS-DOHFW Department, FTS-8309547 दिनांक 01 जुलाई, 2025 को निर्गत परिपत्र के अनुसार "Paramedical" शब्द का प्रयोग समस्त शासकीय पत्राचार, नीतियों, विज्ञापनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संस्थागत नामों, भर्ती अधिसूचनाओं, शैक्षणिक सामग्री एवं समस्त प्रकार के अभिलेखों/पोर्टलों में "Allied and Healthcare" शब्दावली से प्रतिस्थापित किये जाने की अनुशंसा की गयी है जिसके दृष्टिगत "Paramedical" शब्द के स्थान पर "Allied and Healthcare" शब्दावली का प्रयोग किये जाने के संबंध में उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की सम्बंधित धाराओं के संशोधन के संबंध में प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्ताव का आधारः अवगत कराना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन "National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP)" द्वारा पत्र सं0 Z/103/2024-AHS-DOHFW Department, FTS-8309547 दिनांक 01 जुलाई, 2025 को निर्गत परिपत्र के क्रम में "Paramedical" शब्द के स्थान पर "Allied and Healthcare" शब्दावली का प्रयोग किये जाने के संबंध में उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की सम्बंधित धाराओं में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तावः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन "National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP)" द्वारा पत्र सं0 Z/103/2024-AHS-DOHFW Department, FTS-8309547 दिनांक 01 जुलाई, 2025 को निर्गत परिपत्र के क्रम में "Paramedical" शब्द के स्थान पर "Allied and Healthcare" शब्दावली का प्रयोग किये जाने के संबंध में उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की सम्बंधित धाराओं में संशोधन हेतु प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जाने हेतु कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा "Paramedical" शब्द के स्थान पर "Allied and Healthcare" शब्दावली का प्रयोग किये जाने के संबंध में उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की सम्बंधित धाराओं में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

एजेण्डा बिन्दु 14–21 **उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम को सुरक्षा सेवाओं हेतु सर्विस प्रभार 5 प्रतिशत एवं पैरामेडिकल कार्मिकों हेतु सर्विस प्रभार 8.25 प्रतिशत देते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित किये जाने के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा अपने पत्र सं0 135/सैकनि/यू0पी0यू0एम0एस0 दिनांक 28.11.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वे संस्थान में सुरक्षा सेवाओं हेतु 5 प्रतिशत एवं पैरामेडिकल कार्मिकों की सेवाओं हेतु 8.25 प्रतिशत सेवा प्रभार दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। **पृष्ठभूमिः** अवगत कराना है कि निगम द्वारा अपने पत्र सं0 135/सैकनि/यू0पी0यू0एम0एस0 दिनांक 11.11.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि निगम केवल संस्थान में सुरक्षा सेवाओं (सेवानिवृत्त सैनिक तथा उनके आश्रितों) का ही अनुबन्ध विस्तारण करने के लिये सहमत है तथा पैरामेडिकल कार्मिकों की सेवाओं (सिविलियन) का अनुबन्ध विस्तारण नहीं करेगा। उल्लखनीय है कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से निगम को सुरक्षा सेवाओं हेतु सर्विस प्रभार 4.50 प्रतिशत एवं पैरामेडिकल कार्मिकों हेतु सर्विस प्रभार 8.25 प्रतिशत दिया जाता रहा है। अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 में निम्नांकित निर्णय लिया गया है: – **"शासनादेश सं0 18/1423/18–2099/219/2024 दिनांक 09.07.2025 में इंगित व्यवस्था के दृष्टिगत सुरक्षा सेवाओं एवं पैरामेडिकल आउटसोर्स कार्मिकों की सेवाओं हेतु सर्विस चार्ज 5 प्रतिशत देते हुए अनुबंध की कार्यवाही सम्पादित किया जाना।"** उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.11.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वे संस्थान में सुरक्षा एवं पैरामेडिकल कार्मिकों की सेवायें निम्नलिखित सर्विस दरों पर ही अनुबन्ध सम्पादित किये जाने पर सहमति दी गयी है: – 1. सुरक्षा सेवाओं के लिये सेवा प्रभार 5 प्रतिशत 2. पैरामेडिकल कार्मिकों की सेवाओं (सिविलियन) सेवा प्रभार 8.25 प्रतिशत **नियमः** चूंकि निगम द्वारा पूर्व से ही सुरक्षा सेवाओ हेतु सेवा प्रभार 4.50 प्रतिशत एवं पैरामेडिकल कार्मिकों हेतु 8.25 प्रतिशत सेवा प्रभार लिया जाता रहा है। अतः मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन के उपरान्त निगम से सुरक्षा सेवाओ हेतु सेवा प्रभार 5 प्रतिशत एवं पैरामेडिकल कार्मिकों हेतु 8.25 प्रतिशत सेवा प्रभार के आधार पर अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित की जानी अपेक्षित है। **प्रस्ताव का आधारः** निगम द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 11.11.2025 एवं 28.11.2025 के माध्यम से किये गये अनुरोध एवं विश्वविद्यालय में रोगी हितो को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण को मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** सर्विस चार्ज 12 प्रतिशत किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय के पत्र सं0 2767 दिनांक 30.10.2025 के माध्यम से शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है, शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय एवं उ0प्र0 पूर्वसैनिक कल्याण निगम लि0 के मध्य सुरक्षा सेवाओं (सेवानिवृत्त सैनिक तथा उनके आश्रितों) हेतु सेवा प्रभार 5 प्रतिशत एवं पैरामेडिकल कार्मिकों

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

	(सिविलियन) की सेवाओं हेतु सर्विस प्रभार 8.25 प्रतिशत के आधार पर अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः— मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही निर्देश दिये गये कि पैरामेडिकल कार्मिकों (सिविलियन) की सेवाओं हेतु की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में कार्य परिषद की अगली बैठक में अवगत कराया जाये।	
एजेण्डा बिन्दु 14—22 **विश्वविद्यालय की मा0 कार्यपरिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 के एजेण्डा बिन्दु 13—40 में सन्दर्भित प्रकरण की जाँच हेतु नामित जाँच अधिकारी डॉ० ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र दिनांक 18.11.2025 पर निर्णय लिये जाने के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः** विश्वविद्यालय की मा0 कार्यपरिषद की तेरहवी बैठक दिनांक 11.10.2025 के एजेण्डा बिन्दु 13—40 में सन्दर्भित प्रकरण की जाँच हेतु डॉ० ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग को जाँच अधिकारी तथा श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी को प्रेजेंटिंग ऑफिसर नामित किये किये जाने के सम्बन्ध में सन्दर्भित प्रकरण को पुनः निर्णयार्थ हेतु आगामी कार्य परिषद की बैठक में रखे जाने का प्रस्ताव है। **पृष्ठभूमिः** विश्वविद्यालय की मा0 कार्यपरिषद की तेरहवी बैठक दिनांक 11.10.2025 के एजेण्डा बिन्दु 13—40 में सन्दर्भित प्रकरण की जाँच हेतु डॉ० ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग को जाँच अधिकारी तथा श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी को प्रेजेंटिंग ऑफिसर नामित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 3541 दिनांक 04.11.2025 के द्वारा डॉ0 अनिल कुमार ईरी, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग एवं तत्कालीन अपर चिकित्सा अधीक्षक को कोविड—19 के दौरान विभिन्न सामग्रियों/औषधियों के क्रय हेतु समय—समय पर स्वीकृत अग्रिम से सामग्रियों/औषधियों के क्रय में किये गये व्यय का समायोजन प्रस्तुत न करने एवं क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का पालन न करने के कारण प्रकरण की जाँच किये के सम्बन्ध में डॉ० ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग को जाँच अधिकारी तथा श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी को प्रेजेंटिंग ऑफिसर नामित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में डॉ0 ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग के पत्र दिनांक 18.11.2025 द्वारा उन्होंने अवगत कराया है कि "डॉ0 अनिल कुमार ईरी की पत्रावलियों का अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा पूर्व में शासन को व उच्चाधिकारियों को लिखे गए पत्रों में अधोहस्ताक्षरी को किसी दुराग्रह से ग्रसित/पक्षपाती (Biased) बताया गया। ऐसी दशा में मेरे द्वारा इनके प्रकरण में जॉच अधिकारी के रूप में दी गयी किसी भी आख्या अथवा निर्णय पर इनके द्वारा पुनः दुर्भावना/पक्षपाती (Biased) होने का आरोप लगाए जाने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त के क्रम में इनके द्वारा अनुरोध किया है कि जॉच कि शुचिता व निष्पक्षता को बनाए रखने हेतु मेरे स्थान पर किसी ऐसे वरिष्ठ प्रोफेसर/कोई अन्य को नामित करने का कष्ट करें, जिनका इस प्रकरण से कोई सम्बन्ध न हो।" **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय की मा0 कार्यपरिषद की तेरहवी बैठक दिनांक 11.10.2025 के एजेण्डा बिन्दु 13—40 में सन्दर्भित प्रकरण की जाँच हेतु नामित जांच अधिकारी डॉ० ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित किये

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

<table>
<tr><td></td><td>जाने विषयक दिये गये अनुरोध पत्र दिनांक 18.11.2025 पर मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– मा0 कार्य परिषद द्वारा डॉ० ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके स्थान पर प्रो0 आलोक दीक्षित, विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी विभाग को जांच अधिकारी नामित करने का निर्णय लिया गया।</td></tr>
<tr><td colspan="2">टेबल एजेण्डा (मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)</td></tr>
<tr><td><u>टेबल एजेण्डा–1</u>
Approval for inclusion of UPUMS, Saifai as a Nodal Centre under ICMR-AIIMS Project.</td><td>Dr. Brajesh Kumar Ratre, Associate Professor, Department of Onco-Anaesthesia and Palliative Medicine, Dr. B.R.A. IRCH, AIIMS, New Delhi and Principal Investigator of ICMR Funded Capacity Building Project in Palliative Care titled "To build the Capacity of Palliative Care Services in 10 Hospitals in North India to reduce suffering in patients with chronic Debilitating Conditions" has requested via e-mail dated 05.12.2025, to provide institutional approval to include UPUMS, Saifai as new Nodal Centre under this research project and also to nominate Co-Principal Investigator from this University.
<u>Proposal:</u> The Executive Council may like to give approval for inclusion of this University as a New Nodal Centre under the ICMR-AIIMS project and to nominate Dr. Himanshu Prince Yadav, Associate Professor, Anaesthesiology and Dr. Amit Singh, Professor, CVTS as a Co-Principal Investigator to enable official inclusion of the site under the ICMR-AIIMS Project.</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td><u>टेबल एजेण्डा–2</u>
Artificial Intelligence in Health Care & Medical Education हेतु लखनऊ में नेशनल कांफ्रेंस/समिट के आयोजन के संबंध में।</td><td>विश्वविद्यालय द्वारा Artificial Intelligence in Health Care & Medical Education हेतु माह जनवरी–2026 के अंतिम सप्ताह अथवा फरवरी–2026 के प्रथम सप्ताह में लखनऊ एक नेशनल कांफ्रेंस/समिट का आयोजन किये जाने हेतु प्रति–कुलपति द्वारा मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त नेशनल कांफ्रेंस के आयोजन पर आने वाला व्यय भार Sponsorship के द्वारा एवं शेष विश्वविद्यालय की बचत के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव भी दिया गया।
<u>प्रस्तावः</u> Artificial Intelligence in Health Care & Medical Education हेतु माह जनवरी–2026 के अंतिम सप्ताह अथवा फरवरी–2026 के प्रथम सप्ताह में लखनऊ में नेशनल कांफ्रेंस/समिट के आयोजन एवं उक्त आयोजन पर आने वाला व्यय भार Sponsorship के द्वारा एवं शेष विश्वविद्यालय की बचत के माध्यम से कराये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें। साथ ही उक्त नेशनल कांफ्रेंस के आयोजन हेतु डॉ0 रमाकांत यादव, प्रतिकुलपति को Organizing Chairman तथा डॉ0 सुशील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, जनरल मेडिसिन विभाग को Organizing Secretary नामित किये जाने का प्रस्ताव है।</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
</table>

श्री अभिनव रंजन श्रीवास्तव, कुलसचिव/सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा बैठक के अंत में मा0 कार्य परिषद के समस्त सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव एवं सचिव–कार्य परिषद,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।

(प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह)
कुलपति एवं अध्यक्ष–कार्य परिषद,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।